

## Instructions for Self Finance Unit's

मध्य प्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
बललग भवन, भोपाल-482004

आ दे श

भोपाल, दिनांक ३० / ०३ / २०१३

क्रमांक एक १-४/२०१३/ई.स्था.-३८/रासेयो :: उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के हित को दृष्टि में रखते हुए में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि अशासकीय महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना की स्व-पोषित इकाई प्रारंभ की जाये। उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष में निर्देशित किया जाता है कि अशासकीय महाविद्यालयों की सम्बद्धता/नवीनीकरण की अनुमति देते समय अन्य शर्तों के साथ इन अशासकीय महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना स्व-पोषित इकाई अनिवार्यतः खोलने/प्रारंभ करने की शर्त भी शामिल की जाये। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के सुचारू रूप से संचालन हेतु रूपये १०/- प्रति माह प्रति विद्यार्थी के मान से विद्यार्थियों से शुल्क लिया जायेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(*Signature*)

( सी. बी. पड़वार )

उप सचिव,

मध्य प्रदेश शासन,

उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक ३० / ०३ / २०१३

पृष्ठमांक एक १-४/२०१३/ई.स्था.-३८/रासेयो

प्रतिलिपि:-

- मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन के निज सहायक।
- महालेखाकार मध्य प्रदेश गवालियर, गवालियर।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- उप कार्यक्रम सलाहकार, खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय, जामनगर हाऊस, नई दिल्ली।
- कुल सचिव, समस्त अशासकीय महाविद्यालय मध्य प्रदेश एवं प्राचार्य, शा. कला एवं वाणिज्य (अग्रणी) महाविद्यालय, सागर। की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु स्व-पोषित इकाई प्रारंभ करने के दिशा-निर्देश संलग्न है।
- अतिरिक्त संचालक, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- युवा अधिकारी एवं प्रमुख, भारत सरकार रासेयो क्षेत्रीय केन्द्र, ई-१/१२३, अरेशा कॉलोनी, भोपाल।
- प्राचार्य, समस्त अशासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश की ओर पालनार्थ। अधिक जानकारी हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के रासेयो कार्यक्रम समन्वयक से संपर्क कर सकते हैं।
- कार्यक्रम समन्वयक, समस्त विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश/शा. कला एवं वाणिज्य (अग्रणी) महाविद्यालय, सागर तत्काल विश्वविद्यालय में स्व-पोषित इकाई के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर, विभाग की कार्य प्रगति से अवगत करें।
- आर्डर बुक।

उप सचिव,  
मध्य प्रदेश शासन,  
उच्च शिक्षा विभाग

मध्य प्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

388

वल्लभ भवन, भोपाल— 462004  
क्रमांक / १२ /२१८/एनएसएस/२०१४/३८ भोपाल दिनांक ०६ /१/१४  
प्रति,

१. कार्यक्रम समन्वयक,  
रासेयो,  
समस्त विश्वविद्यालय,  
मध्य प्रदेश.
२. कार्यक्रम समन्वयक,  
रासेयो,  
अतिरिक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय,  
उच्च शिक्षा, सागर संभाग,  
श. कला एवं वाणिज्य (अग्रणी) महाविद्यालय परिसर,  
सागर म०प्र०।

विषय:- एन.एस.एस.— स्ववित्तीय पोषित इकाई खोलने—संबंधी।

सन्दर्भ:- विभागीय पत्र दिनांक ३०.८.२०१३, १९.९.२०१३ एवं २६.१०.२०१३ तथा भारत सरकार रासेयो क्षेत्रीय केन्द्र, भोपाल के पत्र दिनांक १.१.२०१४ एवं ६.१.२०१४.

—०—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कृपया र.न्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। रासेयो विस्तार के अन्तर्गत निजी महाविद्यालयों में स्वपोषित रासेयो इकाईयों खोलने संबंधी कार्यवाही करने हेतु आपको निर्देशित किया गया था। आपके विश्वविद्यालय क्षेत्रान्तर्गत स्वपोषित इकाईयों निजी महाविद्यालयों में खोलने संबंधी प्रगति एवं उपलब्धि से विभाग को तत्काल अवगत करायें।

भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र दिनांक १.१.२०१४ के अनुक्रम में लेख है कि निजी महाविद्यालयों में स्वपोषित इकाई खोलने हेतु क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में उनके क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले निजी महाविद्यालयों के प्राचार्य, रासेयो जिला संगठक के साथ बैठक तय करें बैठक की तिथि विभाग एवं रासेयो क्षेत्रीय केन्द्र भोपाल को अवगत करायें। बैठक में स्वपोषित इकाईयों हेतु पूर्व में विभाग द्वारा भेजे गये दिशा निर्देश के अनुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से प्रयास करें। बैठक दिनांक १०.१.२०१४ को जानकारी एवं स्वपोषित रासेयो इकाई की प्रगति के साथ आयें।  
(प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित)

R/जा०।।५  
(डॉ.आर.के. रिजय)  
उप सचिव

(राज्य सम्पर्क अधिकारी, रासेयो)  
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग  
भोपाल, दिनांक ०६/१/२०१४  
०८

पृष्ठ क. १३ /२१८/एनएसएस/२०१४/३८  
प्रतिलिपि:-

१. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, उच्च शिक्षा के निज सहायक।
२. ओ.एस.डी. सह आयुक्त, उच्च शिक्षा म०प्र० के निज सहायक।
३. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय म०प्र० की ओर कृपया स्वपोषित रासेयो इकाईयों खोलने हेतु आपके क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले निजी महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं रासेयो कार्यक्रम समन्वयक, जिला संगठक के साथ बैठक आयोजित कर, रासेयो विस्तार में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।
४. कुलसचिव, समस्त रासेयो, युक्त विश्वविद्यालय म०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा सागर संभाग (अग्रणी महाविद्यालय परिसर) सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु, युवा अधिकारी, प्रमुख भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रासेयो क्षेत्रीय केन्द्र ई-१/१२३ अरेंगा कालोनी, भोपाल।

R/जा०।।५  
उप सचिव  
(राज्य सम्पर्क अधिकारी, रासेयो)  
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग



## देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर राष्ट्रीय सेवा योजना



फेस : 0731-2529540 दुर्माप : 0731-2523770 email Id :- [conssdavv@gmail.com](mailto:conssdavv@gmail.com)

क्रमांक / रासेयो / ५६ / २०१३-१४ / ७०

दिनांक : - ०५.०३.२०१४

प्रति,

प्राचार्य

द.अ.वि.वि., इन्दौर से

सम्बंध, समस्त नीजी महाविद्यालय

विषय :— दिनांक 28/01/2014, को आयोजित निजी महाविद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक का कार्यवृत्त भेजने विषयक ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत दिनांक 28/01/2014, को अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा, इन्दौर संभाग की अध्यक्षता में निजी महाविद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक आयोजित हुई है । बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न है । बैठक में लिए गये निर्णयानुसार समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार ।

भवदीय  
  
(डॉ. प्रकाश निवेदिता)  
कार्यक्रम समन्वयक, रासेयों  
देवी अहिल्या वि. वि. इन्दौर

प्रतिलिपि :—

- (1) प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन उच्च शिक्षा के निज सहायक की ओर सूचनार्थ ।
- (2) ओ.एस.डी., सहआयुक्त, उच्च शिक्षा म.प्र. के निज सहायक की ओर सूचनार्थ ।
- (3) अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्दौर संभाग की ओर सूचनार्थ ।
- (4) उप कुलसचिव शक्तिशिख, समुचित कार्यवाही हेतु ।
- (5) निदेशक महाविद्यालय विकास परिषद को भेजकर लेख है, कि निजी महाविद्यालयों में सम्बद्धता / नवीनिकरण के लिए रासेयों स्वपोषित इकाई खोलने को अनिवार्य शर्त के रूप में शामिल करें ।
- (6) राज्य सम्पर्क अधिकारी, रासेयों, म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ ।
- (7) युवा अधिकारी एवं प्रमुख, भारत सरकार, युवा एवं कार्यक्रम खेल मंत्रालय, रासेयों क्षेत्रीय केन्द्र अरेंगा कॉलोनों, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

कार्यक्रम समन्वयक, रासेयों,  
देवी अहिल्या वि. वि. इन्दौर